



प्रेस नोट दिनांक 27.04.2026

थाना कोतवाली जनपद बरेली।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों तैयार कर होमगार्ड भर्ती परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिरूपण कर सम्मिलित होने का प्रयास करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-

होमगार्ड भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष व सकुशल सम्पन्न कराने के लिये जाने हेतु जनपद बरेली में परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस ड्यूटिया लगायी गयी थी। दिनांक 26.04.2026 को निरीक्षक श्री राजीव कुमार केन्द्र प्रभारी साहू गोपी नाथ कन्या इण्टर कालेज तैनाती रिजर्व पुलिस लाइन बरेली द्वारा दौराने चैकिंग/बायोमेट्रिक के पाया कि अनुराग पुत्र राजबहादुर नि0- हरिहर पुर थाना टडियावा जनपद हरदोई द्वारा अनुराग के नाम से एक ही व्यक्ति द्वारा सेम आधार कार्ड पिता का नाम व पता प्रयोग कर नाम का प्रतिरूपण करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये परीक्षा देने के लिये आया था। जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक श्री राजीव कुमार की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 318(4)/319(2)/340/336(3) बीएनएस व 3/10(1) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 विक्रान्त तोमर द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त अनुराग उपरोक्त को गिरफ्तार कर वास्ते रिमान्ड माननीय न्यायालय भिजवाया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण/पृष्ठ भूमि -

दिनांक 26.04.2026 को निरीक्षक श्री राजीव कुमार केन्द्र प्रभारी साहू गोपी नाथ कन्या इण्टर कालेज तैनाती रिजर्व पुलिस लाइन बरेली द्वारा दौराने चैकिंग/बायोमेट्रिक के पाया कि अनुराग पुत्र राजबहादुर नि0- हरिहर पुर थाना टडियावा जनपद हरदोई द्वारा अनुराग के नाम से एक ही व्यक्ति द्वारा सेम आधार कार्ड पिता का नाम व पता प्रयोग कर नाम का प्रतिरूपण करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये परीक्षा देने के लिये आया था जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक श्री राजीव कुमार की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 318(4)/319(2)/340/336(3) बीएनएस व 3/10(1) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 विक्रान्त तोमर द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त अनुराग उपरोक्त को गिरफ्तार कर वास्ते रिमान्ड माननीय न्यायालय भिजवाया जा रहा है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 190/26 धारा 318(4)/319(2)/340/336(3) बीएनएस व 3/10(1) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 थाना कोतवाली बरेली

पृष्ठताछ एवं अभियुक्त का विवरण (जैसे कि वह कहाँ का रहने वाला है, कितना पढा-लिखा है, पूर्व में वर्तमान क्या करता/करती है, घटना स्थल किस तरह पहुँचा और अपराध में संलिप्त करने का कारण आदि)-

अभियुक्त अनुराग पुत्र राजबहादुर नि0- हरिहर पुर थाना टडियावा जनपद हरदोई थाना कोतवाली उम्र 26 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे द्वारा मेरे आधार कार्ड पर एडिटिंग करके नाम परिवर्तन किया गया था मेरा नाम अनुराग है मैंने अपने आधार कार्ड पर अनुराग के स्थान पर धर्मेन्द्र सिंह एडिट किया गया था ओर मेरे द्वारा होमगार्ड परीक्षा में धर्मेन्द्र सिंह व अनुराग नाम से दो आवेदन किये गये थे कल दिनांक 25.04.2026 को दरवारी लाल शर्मा इण्टर कालेज पीलीभीत रोड रिठौरा में अनुक्रमांक नं 2500801037 पर धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राजबहादुर नि0 हरिहरपुर थाना टडियावा हरदोई नाम से परीक्षा दी थी और आज दिनांक 26.04.2026 को साहू गोपीनाथ कन्या इण्टर कालेज मे अनुराग पुत्र राजबहादुर नि0 हरिहरपुर थाना टडियावा हरदोई नाम से परीक्षा देने आया था कि बायोमेट्रिक करने पर मेरे अंगुल छाप का मिलान होने पर बायोमेट्रिक टीम को मुझ पर शक हो गया और उनके द्वारा मेरी शिकायत वहां पर मौजूद पुलिस से की गयी थी। मुझे क्षमा कर दो आगे से ऐसी कोई गलती नही करुंगा।

बरामदगी का विवरण -

1. बरामद 02 आधार कार्ड , 02 प्रवेश पत्र, 02 प्रश्न पत्र

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 190/26 धारा 318(4)/319(2)/340/336(3) बीएनएस व 3/10(1) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 थाना कोतवाली बरेली

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 विक्रान्त तोमर थाना कोतवाली बरेली